प्रेस नोट **26/07/2022**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना दक्षिणटोला पर तहसीलदार सदर श्री पीसी श्रीवास्तव द्वारा, थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने (जिसकी कीमत लाखों में थी) के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 129/20 धारा 419,420,433,434,447,467,468,471 भादवि0 व धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति0 अधिनिमय का अभियोग बनाम मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की पंजीकृत करवाया गया था जिसमें दिनांक 21.10.2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रषित किया गया। पुनः उसी थाना दक्षिणटोला पर मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। जिसमें रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार हो चुके है। उक्त पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें को क्वेश कराने के लिए आफसा अंसारी व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गयी थी जिसको दिनांक 09.05.2022 को माननीय न्यायालय ने क्वेश कर दिया था। उक्त क्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला, कोतवाली व सरायलखंसी पुलिस गिरफ्तार करने हेतु अभियुक्तगण के निवास जनपद गाजीपुर में गयी हुयी थी तथा धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। यदि आरोपीगण माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही करते है तो माननीय न्यायालय कि आदेशानुसार धारा 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

मु०अ०सं० 20/22 धारा 3(1) यू पी गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से संबंधित वांछित अभियुक्तगण सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा एवम अनवर सहजाद पुत्रगण जमशेद रजा निवासीगण ग्राम महरूपुर थाना यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय से प्राप्त कुर्की की उद्घोषणा आदेश 82 सीआरपीसी की तामीला अभियुक्तगण के मकान पर आदेश 82 सीआरपीएसी समक्ष गवाहान चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर घोषणा कर नियमानुसार की गई।

अर्न्तजनपदीय गैंग के 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से वाहन (स्कार्पियो) में लदी चोरी की 01 भैंस व असलहा तथा चोरी करने में प्रयुक्त चार पहिया वाहन स्कार्पियों बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी घोसी के पर्यवेक्षण में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 26.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बाबू कैलाशी स्कूल, बाई पास तिराहा दोहरीघाट से 02 शातिर चोर 1–मो0 आमिर पुत्र हसनैन निवासी नत्थूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2–अरमान अहमद पुत्र मो0 कलाम आजमी निवासी सुखपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 भैंस व एक अदद कट्टा तथा चोरी करने में प्रयुक्त चार पहिया वाहन स्कार्पियों बरामद कर जेल भेजा गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग चार पहिया वाहन स्कार्पियों व असलहे से लैस होकर गोरखपुर, देवरिया, बलिया तथा मऊ के निकलते है तथा हाईवे से सटे व हाईवे के आस–पास के गावों में घूम कर दिन के रैकी करते है तथा रात्रि 10.00 बजे के बाद हम सभी लोग स्कार्पियों वाहन से जाकर बधे भैस को तुरन्त अपनी स्कार्पियों में पीछे लाद लेते है एवं फरार हो जाते है। साथ ही यदि किसी परिवारीजन द्वारा जाग कर षोर मचाया जाता है व हम लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता है तो हम लोग तत्काल फायर करते हुए फरार हो जाते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास–

1– मो0 आमिर पुत्र हसनैन निवासी नत्थूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

क– 81/22 धारा 379 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।
ख– 109/22 धारा 379 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।
ग– 195/22 धारा 411/413 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
घ– 196/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

2– अरमान अहमद पुत्र मो0 कलाम आजमी निवासी सुखपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

क– 81/22 धारा 379 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।

ख– 109/22 धारा 379 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।

ग– 195/22 धारा 411/413 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

घ– 197/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

फरार अभियुक्तगण–

1– पप्पू कुरैशी पुत्र एकबाल कुरैशी निवासी नौषहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

2– साकिब पुत्र रसीद निवासी छीही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1– स्कार्पियों सफेद रंग एम0एच0 11 ए0ए0 1000

2– एक अदद भैंस

3– एक अदद तमंचा 315 बोर।

4– एक अदद कारतूस 315 बोर।

5– एक अदद चाकू।

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष दोहरीघाट, उ0नि0 श्री केषव यादव, उ0नि0 श्री आफताब आलम, आरक्षी आशीष सिंह, अमित कुमार, संजीत कुमार, अनिल चौधरी, संतोष प्रजापति व आरक्षी चालक अरविन्द यादव थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रोडवेज के पास से मु0अ0सं0 357/22 धारा 452,323,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त दीपक यादव पुत्र व्यास यादव निवासी रेलवे कालोनी मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। साथ ही साथ थाना रानीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 127/22 धारा 363,366,504,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में फरार वांछित अभियुक्त जितेन्द्र राजभर पुत्र गोविंद राजभर निवासी सोनिसा थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 18 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 26.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा जीयुत राम, ओमकार निवासीगण बीबीपुर व वारंटी अभियुक्त विजय शंकर निवासी नसीरापुर थाना चिरैयाकोट, थाना घोसी पुलिस द्वारा शैलेश सिंह निवासी नदवल थाना घोसी, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राज मल्ल निवासी खीरीकोठा, जयप्रकाश व विजय निवासीगण लोकया, लक्षिराम निवासी महुई, सच्चिदानंद व रामहर्ष निवासीगण अहिरौली, सामवंत व घुरभारी निवासीगण धरमपुर, नागेन्द्र व रामशब्द निवासीगण दुबारी थाना मधुबन व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सूर्यनाथ व रामबाबू सरोज निवासीगण दतेहड़ी, गनेश व राजू निवासी गोकुलपुरा थाना रानीपुर व नारद पासवान निवासी रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मॉनीटरिंग सेल जनपद मऊ की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट–प्रथम जनपद मऊ द्वारा अभियुक्त को 30 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवाये जाने के फलस्वरुप आज दिनांक 26.07.2022 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट–प्रथम जनपद मऊ द्वारा थाना हलधरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 220/20 धारा 354ख, 376क,ख भादवि व 9/10,5(5)/6 पोक्सो एक्ट में

अभियुक्त सुनील चौहान पुत्र लीसू निवासी छत्तरपुर थाना हलधरपुर मऊ को 30 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।